

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम:- संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर।**

1.	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.</p>	<p><u>किसान समृद्धि योजना</u></p> <p><u>Kissan Samridhi Scheme</u></p>
2.	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>पूर्णतः राज्य पोषित योजना है।</p> <p>State Govt. Sponsored Scheme.</p>
3.	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि विभाग</p> <p>Department of Agriculture.</p>
4.	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>उप संचालक कृषि</p> <p>Deputy Director Agriculture</p>
5.	<p>योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूप निर्माण के लिये अनुदान।</li> <li>2. कृषकों के स्वयं के सिंचाई स्रोत निर्मित कर प्रदेश के सकल सिंचाई रकबे में वृद्धि करना।</li> <li>3. फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि।</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subsidy provide to farmers for tubewell with an aim to increasing the irrigation efficiency.</li> <li>2. To increase the irrigation acreage of the state.</li> <li>3. To increase the production and productivity of the different crops.</li> </ol>

6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है।</p> <p>All Districts of the State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र है।</p> <p>All categories of farmers will be beneficiaries of the scheme.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if ny.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से खनित नलकूप हेतु खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान की पात्रता।</li> <li>अन्य कृषि कार्य में बैंक ऋण प्रकरण में कृषक का डिफाल्टर न होना।</li> <li>बैंक खाते के माध्यम से ही अनुदान की पात्रता।</li> </ol> <p>Eligibility for Subsidy -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Self expense or bank loan sanctioned for tubewell digging and pump establishment except subsidy amount.</li> <li>Should not be defaulter in any bank loan.</li> <li>Loan should be paid through bank account.</li> </ol>
9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर में दी जाती है।</p> <p>Loan sanctioned for individual under the scheme.</p>
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p>	<p>अनुदान का विवरण निम्नानुसार है</p> <p>किसान समृद्धि योजना :-</p>

	<p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details</p> <p>Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>(अ) सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के खनन लागत या अधिकतम 10,000/- तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम 15,000/-</p> <p>(ब) अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों का खनन लागत या अधिकतम 18,000/- तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम रु. 25,000/-</p> <p>Subsidy Pattern as follow</p> <p>Kishan Smridhi Yojana :-</p> <p>(a) Drilling cost or max. Rs. 18000/-</p> <p>(b) Cost of pump and accessory item or max. Rs. 25000/- (on successfully tube wells only)</p> <p>I. Drilling Subsidy : For General Category farmer cost of drilling or Rs. 10000 maximum &amp; for SC/ST category farmers drilling cost or maximum Rs. 18000</p> <p>II. Pump subsidy on successful tubewell : For General Category cost of pump and accessory or maximum Rs. 15000 &amp; SC/ST category farmer cost of pump and accessory or maximum Rs. 25000.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती किन्तु कृषकों को ऋण स्वीकृत करवाने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करना होता है।</p> <p>No provision for margin money but required formalities should fulfill by farmers for loan sanctioning bank.</p>

1.	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.</p>	<p><u>राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना</u></p> <p><u>State Govt. Under promotion programme of Sprinkler &amp; Drip system.</u></p>
2.	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>राज्य पोषित योजना</p> <p>State Govt. Sponsored Scheme.</p>
3.	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि विभाग</p> <p>Department of Agriculture</p>
4.	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>उप संचालक कृषि</p> <p>Deputy Director Agriculture</p>
5.	<p>योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>1. सिंचाई पानी का बेहतर उपयोग।</p> <p>2. साग-सब्जी एवं अन्य नगदी फसलों को बढ़ावा देना।</p> <p>1. Better use of irrigation water.</p> <p>2. Promotion of vegetable and other cash crops.</p>
6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है।</p> <p>Implementing in all district of the State.</p>

7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र हैं।</p> <p>Farmers of All Categories.</p>																
8.	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से 5 हे. तक के लिये स्प्रिंकलर पर अनुदान की पात्रता।</p> <p>2. अनुदान राशि जिले के उप संचालक कृषि द्वारा कृषक को दी जावे।</p> <p>Eligibility for subsidy-</p> <p>1. Subsidy to farmers for sprinkler for maximum area of 5ha.</p> <p>2. Subsidy disburse to farmer's by Dy. Director Agriculture of District.</p>																
9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Assistance is provided on individual basis.</p>																
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान है।</p> <table border="1" data-bbox="808 1367 1484 1499"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>इकाई लागत</th> <th>लघु एवं सीमांत कृषक 75:</th> <th>अन्य 50:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स्प्रिंकलर</td> <td>19044</td> <td>14283</td> <td>9522</td> </tr> </tbody> </table> <p>Subsidy pattern for all category of formers as follows :</p> <table border="1" data-bbox="808 1629 1508 1780"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Unit Cost</th> <th>Small &amp; Marginal 75%</th> <th>Other 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sprinkler</td> <td>19044</td> <td>14283</td> <td>9522</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	इकाई लागत	लघु एवं सीमांत कृषक 75:	अन्य 50:	स्प्रिंकलर	19044	14283	9522	Item	Unit Cost	Small & Marginal 75%	Other 50%	Sprinkler	19044	14283	9522
विवरण	इकाई लागत	लघु एवं सीमांत कृषक 75:	अन्य 50:															
स्प्रिंकलर	19044	14283	9522															
Item	Unit Cost	Small & Marginal 75%	Other 50%															
Sprinkler	19044	14283	9522															

11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती।</p> <p>No of margin money is required for sanction of subsidy.</p>
-----	--	--

1.	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable).</p>	<p><u>सूक्ष्म सिंचाई योजना गैर उद्यानिकी फसलों के लिये</u></p> <p><u>Under promotion programme of Sprinkler &amp; Drip system for Agriculture crops</u></p>
2.	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>केन्द्र प्रवर्तित योजना</p> <p>Centrally Sponsored Scheme.</p>
3.	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड</p> <p>C.G. State seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p>
4.	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>शाखा प्रबंधक छ.ग. राज्य एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड</p> <p>Branch Manager C.G. State Seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p>
5.	<p>योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>1. सिंचाई पानी का बेहतर उपयोग। 2. साग-सब्जी एवं अन्य नगदी फसलों को बढ़ावा देना।</p> <p>1. Better use of irrigation water. 2. Promotion of vegetable and other cash crops.</p>
6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है।</p> <p>Implementing in all district of the State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/</p>	<p>सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र हैं।</p>

	<p>अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग /पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women, etc.)</p>	Farmers of All Categories.																	
8.	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से 5 हे. तक के लिये स्प्रिंकलर पर अनुदान की पात्रता।</p> <p>2. अनुदान राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दी जावेगी।</p> <p>Eligibility for subsidy-</p> <p>1. Subsidy to farmers for sprinkler for maximum area of 5ha.</p> <p>2. Subsidy enroute through C.G. State Seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p>																	
9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Assistance is provided on individual basis.</p>																	
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान है।</p> <table border="1" data-bbox="808 1144 1485 1276"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>इकाई लागत</th> <th>लघु एवं सीमांत कृषक 75:</th> <th>अन्य 50:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स्प्रिंकलर</td> <td>19044</td> <td>14283</td> <td>9522</td> </tr> </tbody> </table> <p>Subsidy pattern for all category of formers as follows :</p> <table border="1" data-bbox="808 1402 1485 1556"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Unit Cost</th> <th>Small &amp; Marginal 75%</th> <th>Other 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sprinkler</td> <td>19044</td> <td>14283</td> <td>9522</td> </tr> </tbody> </table>		विवरण	इकाई लागत	लघु एवं सीमांत कृषक 75:	अन्य 50:	स्प्रिंकलर	19044	14283	9522	Item	Unit Cost	Small & Marginal 75%	Other 50%	Sprinkler	19044	14283	9522
विवरण	इकाई लागत	लघु एवं सीमांत कृषक 75:	अन्य 50:																
स्प्रिंकलर	19044	14283	9522																
Item	Unit Cost	Small & Marginal 75%	Other 50%																
Sprinkler	19044	14283	9522																



11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती।</p> <p>No of margin money is required for sanction of subsidy.</p>
-----	--	--

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।**

<p>1.</p>	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.</p>	<p><u>शाकम्भरी योजना</u></p> <p>(अ) 5 एच.पी. तक के डीजल/विद्युत/मिट्टी तेल/ओपेनवेल सबमर्सिबल पंप पर अनुदान.  (ब) कूप निर्माण पर अनुदान.</p> <p><u>Shakambhari Yojna.</u></p> <p>(i) Subsidy on Diesel/Electric/Kerosene/Openwell Submercible Pumps upto 5 HP.  (ii) Subsidy on Dug wells.</p>
<p>2.</p>	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित।  State Govt. Sponsored .</p>
<p>3.</p>	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर।  Directorate of Agriculture (Engineering) CG Raipur.</p>
<p>4.</p>	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>उप संचालक कृषि, कृषि विभाग।  Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.</p>

5.	<p>योजना का उद्देश्य. Objective of the Scheme.</p>	<p>(1) प्राकृतिक जल संसाधनों का समुचित दोहन. (2) कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि. (3) कृषकों का आर्थिक उन्नयन.</p> <p>(1) Proper utilization of natural water resource. (2) Increase in Agriculture &amp; Horticulture Crop production. (3) Promotion of economic state of Farmers.</p>
6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित. All Districts of the State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>केवल लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक. Only Small &amp; Marginal Farmers.</p>
8.	<p>हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि</p>	<p>(1) ऐसे लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक जिन्होंने पूर्व में किसी अनुदान योजना में सिंचाई पंप अथवा कूप निर्माण कार्य न कराया हो।</p>

	<p>कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>(2) सिंचाई पंप हेतु ऐसे कृषक जिनके पास ऐसा जल स्रोत हो जिसमें पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता हो।</p> <p>(1) Those small &amp; marginal farmers who have not taken advantage of Subsidy on irrigation Pump and Dug Well under any Scheme.</p> <p>(2) For irrigation pumps these farmers who have source of water available throughout the year.</p>																																										
<p>9.</p>	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>सिंचाई पंप एवं कूप निर्माण में सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। Assistance is provided on individual basis on irrigation pumps as well as on Dug well.</p>																																										
<p>10.</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum GOI Contribution State Government</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">स.क्र. S.No.</th> <th rowspan="2">घटक Component</th> <th colspan="2">अधिकतम इकाई लागत Max. Unit Cost.</th> <th rowspan="2">अनुदान का प्रतिशत % of Subsidy</th> <th rowspan="2">अनुदान सीमा Extent of Subsidy amount</th> </tr> <tr> <th>हार्सपावर/ स्पेशिफिकेशन</th> <th>इकाई लागत (रु.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1-</td> <td rowspan="5">विद्युत पंप (Elec. Pump)</td> <td>0.5</td> <td>5200.00</td> <td rowspan="6">75%</td> <td rowspan="6">अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो 75% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>8450.00</td> </tr> <tr> <td>1.50</td> <td>11700.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>12350.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>16250.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>19500.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2-</td> <td rowspan="2">डीजल पंप (Diesel Pump)</td> <td>3.00</td> <td>20000.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>22500.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-</td> <td rowspan="2">केरोसीन पंप (Kerosene Pump)</td> <td>1.5 to 2.00</td> <td>16600.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>20500.00</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>कूप निर्माण हेतु भूमि का प्रकार</td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> <td>अधिकतम</td> </tr> </tbody> </table>	स.क्र. S.No.	घटक Component	अधिकतम इकाई लागत Max. Unit Cost.		अनुदान का प्रतिशत % of Subsidy	अनुदान सीमा Extent of Subsidy amount	हार्सपावर/ स्पेशिफिकेशन	इकाई लागत (रु.)	1-	विद्युत पंप (Elec. Pump)	0.5	5200.00	75%	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो 75% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less	1.00	8450.00	1.50	11700.00	2.00	12350.00	3.00	16250.00	5.00	19500.00	2-	डीजल पंप (Diesel Pump)	3.00	20000.00	5.00	22500.00	3-	केरोसीन पंप (Kerosene Pump)	1.5 to 2.00	16600.00	3.00	20500.00	2-	कूप निर्माण हेतु भूमि का प्रकार			50%	अधिकतम
स.क्र. S.No.	घटक Component	अधिकतम इकाई लागत Max. Unit Cost.			अनुदान का प्रतिशत % of Subsidy	अनुदान सीमा Extent of Subsidy amount																																						
		हार्सपावर/ स्पेशिफिकेशन	इकाई लागत (रु.)																																									
1-	विद्युत पंप (Elec. Pump)	0.5	5200.00	75%	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो 75% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less																																							
		1.00	8450.00																																									
		1.50	11700.00																																									
		2.00	12350.00																																									
		3.00	16250.00																																									
5.00	19500.00																																											
2-	डीजल पंप (Diesel Pump)	3.00	20000.00																																									
		5.00	22500.00																																									
3-	केरोसीन पंप (Kerosene Pump)	1.5 to 2.00	16600.00																																									
		3.00	20500.00																																									
2-	कूप निर्माण हेतु भूमि का प्रकार			50%	अधिकतम																																							

	Contribution	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="586 50 683 447"></td> <td data-bbox="683 50 873 447">           1. ग्रेनाईट गनीसेस बेसाल्ट कड़ी चट्टान (Granite Ginises Basalt heard rock)         </td> <td data-bbox="873 50 1019 149">Dia - 6m Depth - 10m Steining - 4m</td> <td data-bbox="1019 50 1159 149">37500.00</td> <td data-bbox="1159 50 1292 447"></td> <td data-bbox="1292 50 1490 596" rowspan="5">           इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो 50% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 149 683 352"></td> <td data-bbox="683 149 873 352"></td> <td data-bbox="873 149 1019 247">Dia - 6m Depth - 12m Steining - 4m</td> <td data-bbox="1019 149 1159 247">41200.00</td> <td data-bbox="1159 149 1292 352"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 352 683 447"></td> <td data-bbox="683 352 873 447"></td> <td data-bbox="873 352 1019 447">Dia - 5m Depth - 14m Steining - 4m</td> <td data-bbox="1019 352 1159 447">40000.00</td> <td data-bbox="1159 352 1292 447"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 447 683 596"></td> <td data-bbox="683 447 873 596"></td> <td data-bbox="873 447 1019 596">Dia - 5m Depth - 16m Steining - 4m</td> <td data-bbox="1019 447 1159 596">50400.00</td> <td data-bbox="1159 447 1292 596"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 596 683 716"></td> <td data-bbox="683 596 873 716">           2. कछारी भूमि (Alluvaila)         </td> <td data-bbox="873 596 1019 716">Dia - 3m Depth - 12m Steining - 12m</td> <td data-bbox="1019 596 1159 716">35500.00</td> <td data-bbox="1159 596 1292 716"></td> </tr> </table>		1. ग्रेनाईट गनीसेस बेसाल्ट कड़ी चट्टान (Granite Ginises Basalt heard rock)	Dia - 6m Depth - 10m Steining - 4m	37500.00		इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो 50% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less			Dia - 6m Depth - 12m Steining - 4m	41200.00				Dia - 5m Depth - 14m Steining - 4m	40000.00				Dia - 5m Depth - 16m Steining - 4m	50400.00			2. कछारी भूमि (Alluvaila)	Dia - 3m Depth - 12m Steining - 12m	35500.00	
	1. ग्रेनाईट गनीसेस बेसाल्ट कड़ी चट्टान (Granite Ginises Basalt heard rock)	Dia - 6m Depth - 10m Steining - 4m	37500.00		इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो 50% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less																							
		Dia - 6m Depth - 12m Steining - 4m	41200.00																									
		Dia - 5m Depth - 14m Steining - 4m	40000.00																									
		Dia - 5m Depth - 16m Steining - 4m	50400.00																									
	2. कछारी भूमि (Alluvaila)	Dia - 3m Depth - 12m Steining - 12m	35500.00																									
11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>कोई मार्जिन मनी देय नहीं है। No Margin money is needed.</p>																										
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं Nothing.</p>																										
13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि</p>	<p>अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत पर अनुदान प्रतिशत राशि, जो भी कम हो। % of subsidy on max. unit cost or actual cost, whichever is less.</p>																										

	<p>हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.</p>	
14.	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हॉ</p> <p>Yes</p>
15.	<p>क्या योजनांतर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है।</p> <p>Not Required.</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	<p><b>सिंचाई पंप हेतु :-</b></p> <p>(प) सिंचाई पंप तथा उसकी सहायक सामग्री आई.एस.आई. मार्क होनी चाहिये।</p> <p>(पप) विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करेगा।</p> <p>(पपप) पंप का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा राज्य स्तर पर विभाग द्वारा पंजीकृत प्रदायकों द्वारा किया जाता है।</p> <p>(पअ) कृषक अपनी पसंद के आई.एस.आई. मार्क पंप निजी विक्रेताओं/ सहकारी संस्था से क्रय करने स्वतंत्र है।</p> <p><b>कूप निर्माण हेतु :-</b></p> <p>(प) कूप का आकार तथा एक कूप से दूसरे कूप अथवा नलकूप की दूरी नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम न हो।</p> <p>(पप) असफल कूप पर वास्तविक व्यय का 50: अथवा इकाई लागत जो भी कम हो</p>

वह संचालक कृषि की स्वीकृति उपरांत देय होगा।

**For Irrigation Pumps :-**

- (i) The Pumps and its accessories should be ISI Marked.
- (ii) Farmer has to bear expenses of Elec. Connection.
- (iii) Pumps shall be supplied by C.G. Beej evam Krishi Vikas Nigam and by suppliers registered by the deptt. at state level.
- (iv) Farmers can also purchase ISI Mark pump from Private dealers/cooperative agencies.

**For Dug Wells :-**

- (i) The size of the well, Distance between two dug wells or dug well & tube well should not be less than the norms of NABARD.
- (ii) In case of unsuccessful wells 50% of actual expenses on the unit cost, whichever is less, shall be granted after sanction from Director Agriculture.

<p>1. योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable).</p>	<p><u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान</u></p> <p><u>Subsidy on paddy transplanter in farmers field under RKVY.</u></p>
<p>2. क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>योजना राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>State Govt. Sponsored Scheme.</p>
<p>3. राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर।</p> <p>Directorate of Agriculture (Engineering) CG Raipur.</p>
<p>4. जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग</p> <p>Agriculture Engineer, Department of Agriculture Engineering.</p>
<p>5. योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करना तथा रोपाई के रकबे में वृद्धि, कृषि श्रमिकों की समस्या से निदान, बीज की बचत, निंदाई गुड़ाई आदि में सुगमता एवं उत्पादन में वृद्धि।</p> <p>Promotion of technology by transplanting paddy and increas in planting area. It reduced problem of labour. Save of seeds, good for interculture and threshing etc. To increase crop production</p>
<p>6. क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p>	<p>यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।</p> <p>This Scheme is being implemented in all districts of State.</p>



	<p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	
<p>7.</p>	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है।</p> <p>All types of Beneficiaries are covered under the scheme.</p>
<p>8.</p>	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p style="text-align: center;">&amp;</p>
<p>9.</p>	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>व्यक्तिगत सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। Assistance is provided individual basis.</p>
<p>10.</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>सभी प्रकार के हितग्राहियों को 3000/- प्रति एकड़ अनुदान देय है।</p> <p>Subsidy is given all types of categories are benefited and provided Rs. 3000/- per Acre.</p>

11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing</p>
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
14.	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
15.	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	<p>&amp;</p>

<p>1. योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.)</p>	<p><u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन की योजना।</u></p> <p>(i) पावर टिलर क्रय पर अनुदान। (पप) हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित यंत्रों पर अनुदान।</p> <p><u>Promotion of Farm Mechanization in RKVY.</u></p> <p>(i) Subsidy on Purchase of Power Tiller. (ii) Subsidy on Hand Operated/Bullock Driven/Power Driven Agricultural Implements.</p>
<p>2. क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना</p> <p>Additional Central Assistance Scheme</p>
<p>3. राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर।</p> <p>Directorate of Agriculture (Engineering) CG Raipur.</p>
<p>4. जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>उप संचालक कृषि, कृषि विभाग।</p> <p>Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.</p>
<p>5. योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिये 8 बी.एच.पी. एवं उससे अधिक के पावर टिलर पर रु. 45,000/- का अनुदान दिया जाता है। राज्य शासन द्वारा बलराम कृषि यांत्रिकीकरण योजनांतर्गत पावर टिलर एवं सभी कृषि यंत्रों पर 10-25% तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, जिससे कृषकों के समय, श्रम की बचत हो सके तथा उत्पादन में वृद्धि हो सके।</p> <p>To increase the level of Agriculture mechanisation in the state Power Tiller of 8 BHP and above. Besides this, an additional subsidy of 10-25% is given by state govt. under Balram krishi yantrikikaran yojna, which save time &amp; labour of the farmer and help in increasing the crop production.</p>

<p>6.</p>	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।</p> <p>This Scheme is being implemented in all districts of State.</p>
<p>7.</p>	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है।</p> <p>All types of Beneficiaries are covered under the scheme.</p>
<p>8.</p>	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>जिन हितग्राहियों के पास पावर टिलर तथा वांछित कृषि यंत्र नहीं है, उन्हें ही पात्रता होगी।</p> <p>Those Beneficiaries who do not have power tiller and required agriculture implements are eligible.</p>
<p>9.</p>	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है।</p> <p>In case of Power Tiller and other agricultural implements subsidy is given on individual basis.</p>

10. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।

कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान का विवरण :-  
The details of subsidy provided to farmers by various central scheme to provide incentive to Agriculture Mechanization :-

दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम

Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)

Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution

Ø- S.No.	घटक Description	कृषकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान Subsidy Provide to Farmers by the Govt. of India	कृषकों को राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान Subsidy Provide to Farmers by the State Govt.	कृषकों को दिया जा रहा कुल अनुदान Total Subsidy Provide to Farmers
1-	8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर टिलर Power Tiller of 8 BHP & above	कीमत का 40% अधिकतम रु. 45,000 /- 40% of Total cost & Max. Rs. 45,000/-	कीमत का 20% अधिकतम रु. 25,000 /- 20% of cost limited to Rs. 25,000/-	कीमत का 60% अधिकतम रु. 70,000 /- 60% of cost limited to Rs. 70,000/-
2-	स्वचलित कृषि मशीन जैसे रीपर, पैडी ट्रांसप्लान्टर आदि। Self Propelled Agriculture Machine i.e. Reaper, Paddy Transplanter etc.	कीमत का 25% अधिकतम रु. 40,000 /- तक 25% of Total cost & Max. Rs. 40,000/-	कीमत का 25% अधिकतम रु. 40,000 /- 25% of Cost limited to Rs. 40,000/-	कीमत का 50% अधिकतम रु. 80,000 /- 50% of Cost limited to Rs. 80,000/-
3-	(1) विशेष प्रकार के शक्ति चलित यंत्र जैसे पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउण्डनट डिगर,, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चलित रीपर, क्लीनर-कम-ग्रेडर, ड्रायर, स्टबलशेवर, मोबाईल फ्रुट हार्वेस्टर, पावर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कल्टीपैकर, ऑनियन हार्वेस्टर डी-टॉपिंग अटैचमेन्ट के साथ, कैरट हार्वेस्टर, मोटोराइज्ड बनाना फाइबर मेकिंग मशीन आदि। Special power driven equipments i.e. Potato Planter, Potato digger, Groundnut digger, Rotavater, Straw	कीमत का 25% अधिकतम रु. 15,000 /- तक 25% of Total cost & Max. Rs. 15,000/-	कीमत का 25% अधिकतम रु. 15,000 /- 25% of Cost limited to Rs. 15,000/-	कीमत का 50% अधिकतम रु. 30,000 /- 50% of Cost limited to Rs. 30,000/-

Reaper, Strip till drill, Tractor operated Reaper, Cleaner cum Grader, Stubble shaver, Mobile fruit harvester, Power weeder, Mini Rice Mill, Dal Mill, Cultipacker, onion harvester with detopping attachment, carrot harvester, motorized banana fibre Making Machine etc.			
---	--	--	--

S.No.	घटक Description	कृषकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान Subsidy Provided to Farmers by the Govt. of India	कृषकों को राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान Subsidy Provided to Farmers by the State Govt.	कृषकों को दिया जा रहा कुल अनुदान Total Subsidy Provided to Farmers
4-	(2) विशेष प्रकार के शक्ति चलित यंत्र जैसे जीरो टिलेज सीड-कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, शुगरकेन कटर प्लांटर/रिंग पिट डिगर/पोस्ट होल डिगर, रोटोवेटर, स्ट्रा रीपर, क्राप रीपर/बाइन्डर, हैप्पी सीडर, वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर/न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर / न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर  Specialized power driven equipment like Zero Till- Seed-cum fertilizer drill, Raised bed Planter, Sugarcane cutter planter/ring pit digger/post hole digger, rotavator straw reaper, crop reaper/binder, happy seeder, vegetable transplanter/pneumatic vegetable seeder.	कीमत का 40% अधिकतम रु. 20,000/- तक  40% of Total cost & Max. Rs. 20,000/-	कीमत का 10% अधिकतम रु.10,000/-  10% of Cost limited to Rs. 10,000/-	कीमत का 50% अधिकतम रु. 30,000/-  50% of Cost limited to Rs. 30,000/-
5-	शक्ति चलित यंत्र <b>Power driven Implements</b> <b>(1) ट्रैक्टर चलित</b> एम.बी./डिस्क प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर। <b>Tractor driven:-</b> MB/Disc Plough, Harrow, Cultivator  <b>(2) पावर टिलर चलित :-</b> हैरो, कल्टीवेटर तथा सीडड्रिल <b>Power Tiller driven :-</b> Harrow, cultivator and seeddrill.	कीमत का 25% अधिकतम रु. 10,000/- तक  25% of Total cost & Max. Rs. 10,000/-	कीमत का 25% अधिकतम रु. 10,000/-  25% of Cost limited to Rs. 10,000/-	कीमत का 50% अधिकतम रु. 20,000/-  50% of Cost limited to Rs. 20,000/-
6-	पावर थ्रेसर (सभी प्रकार) Power Thresher (All types)	कीमत का 25% अधिकतम रु. 12,000/- तक	कीमत का 25% अधिकतम रु.12,000/-	कीमत का 50% अधिकतम रु. 24,000/-

11.		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 121 545 619">Ø- S.No.</th> <th data-bbox="545 121 1024 619">घटक Description</th> <th data-bbox="1024 121 1224 619">कृषकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the Govt. of India</th> <th data-bbox="1224 121 1393 619">कृषकों को राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the State Govt.</th> <th data-bbox="1393 121 1583 619">कृषकों को दिया जा रहा कुल अनुदान  Total Subsidy Provide to Farmers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 619 545 1822">8-</td> <td data-bbox="545 619 1024 1822"> <p>(1) हस्त चलित कृषि यंत्र जैसे स्टबल पुलर, व्हील हो, हैंड सीडड्रिल, ड्रायलैण्ड वीडर, पैडी वीडर, वीडर, कम मल्चर, रोटरी वीडर व्हील ब्लेड हो, स्ट्रिपर, पैडल आपरेटेड थ्रेसर, ग्राउण्टनट डिकारटिकेटर, कैस्टर शेलर, हार्टिकल्चर टूल्स, लो-लिफ्ट पंप, ट्रीक्लाइम्बर, चैफ कटर आदि।</p> <p>Hand Tools Agriculture equipment ie. Stubble puller, Wheel hoe, Hand Seed-drill, Dry land weeder, Paddy weeder, Weeder cum Mulcher, Rotary weeder, Wheel blade hoe, Striper, Paddle operated thresher, Groundnut decorticator, Castor sheller, Horticulture tools, Low lift pump, Tree climber.</p> <p>(2) बैल चलित यंत्र जैसे भूमि सुधार यंत्र, प्रायमरी टिलेज यंत्र, सेकेंडरी टिलेज यंत्र, सीडिंग प्लांटिंग यंत्र, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यंत्र आदि</p> <p>Bullock driven implements i.e. Land improvement implements Primary &amp; Secondary tillage implements, Seeding planting implements, Fertilizer application implements etc.</p> </td> <td data-bbox="1024 619 1224 1822"> <p>2,000 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2,000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 25,00 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2500/-</p> </td> <td data-bbox="1224 619 1393 1822"> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2500 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2500/-</p> </td> <td data-bbox="1393 619 1583 1822"> <p>कीमत का 50% अधिकतम रु. 4000 /-</p> <p>50% of Cost limited to Rs. 4000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 5000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 5000/-</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Ø- S.No.	घटक Description	कृषकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the Govt. of India	कृषकों को राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the State Govt.	कृषकों को दिया जा रहा कुल अनुदान  Total Subsidy Provide to Farmers	8-	<p>(1) हस्त चलित कृषि यंत्र जैसे स्टबल पुलर, व्हील हो, हैंड सीडड्रिल, ड्रायलैण्ड वीडर, पैडी वीडर, वीडर, कम मल्चर, रोटरी वीडर व्हील ब्लेड हो, स्ट्रिपर, पैडल आपरेटेड थ्रेसर, ग्राउण्टनट डिकारटिकेटर, कैस्टर शेलर, हार्टिकल्चर टूल्स, लो-लिफ्ट पंप, ट्रीक्लाइम्बर, चैफ कटर आदि।</p> <p>Hand Tools Agriculture equipment ie. Stubble puller, Wheel hoe, Hand Seed-drill, Dry land weeder, Paddy weeder, Weeder cum Mulcher, Rotary weeder, Wheel blade hoe, Striper, Paddle operated thresher, Groundnut decorticator, Castor sheller, Horticulture tools, Low lift pump, Tree climber.</p> <p>(2) बैल चलित यंत्र जैसे भूमि सुधार यंत्र, प्रायमरी टिलेज यंत्र, सेकेंडरी टिलेज यंत्र, सीडिंग प्लांटिंग यंत्र, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यंत्र आदि</p> <p>Bullock driven implements i.e. Land improvement implements Primary &amp; Secondary tillage implements, Seeding planting implements, Fertilizer application implements etc.</p>	<p>2,000 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2,000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 25,00 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2500/-</p>	<p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2500 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2500/-</p>	<p>कीमत का 50% अधिकतम रु. 4000 /-</p> <p>50% of Cost limited to Rs. 4000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 5000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 5000/-</p>
Ø- S.No.	घटक Description	कृषकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the Govt. of India	कृषकों को राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान  Subsidy Provide to Farmers by the State Govt.	कृषकों को दिया जा रहा कुल अनुदान  Total Subsidy Provide to Farmers								
8-	<p>(1) हस्त चलित कृषि यंत्र जैसे स्टबल पुलर, व्हील हो, हैंड सीडड्रिल, ड्रायलैण्ड वीडर, पैडी वीडर, वीडर, कम मल्चर, रोटरी वीडर व्हील ब्लेड हो, स्ट्रिपर, पैडल आपरेटेड थ्रेसर, ग्राउण्टनट डिकारटिकेटर, कैस्टर शेलर, हार्टिकल्चर टूल्स, लो-लिफ्ट पंप, ट्रीक्लाइम्बर, चैफ कटर आदि।</p> <p>Hand Tools Agriculture equipment ie. Stubble puller, Wheel hoe, Hand Seed-drill, Dry land weeder, Paddy weeder, Weeder cum Mulcher, Rotary weeder, Wheel blade hoe, Striper, Paddle operated thresher, Groundnut decorticator, Castor sheller, Horticulture tools, Low lift pump, Tree climber.</p> <p>(2) बैल चलित यंत्र जैसे भूमि सुधार यंत्र, प्रायमरी टिलेज यंत्र, सेकेंडरी टिलेज यंत्र, सीडिंग प्लांटिंग यंत्र, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यंत्र आदि</p> <p>Bullock driven implements i.e. Land improvement implements Primary &amp; Secondary tillage implements, Seeding planting implements, Fertilizer application implements etc.</p>	<p>2,000 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2,000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 25,00 /- तक</p> <p>25% of Total cost &amp; Max. Rs. 2500/-</p>	<p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 2500 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 2500/-</p>	<p>कीमत का 50% अधिकतम रु. 4000 /-</p> <p>50% of Cost limited to Rs. 4000/-</p> <p>कीमत का 25% अधिकतम रु. 5000 /-</p> <p>25% of Cost limited to Rs. 5000/-</p>								
13.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी	<p>बैंक ऋण में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को जमा करना होता है।</p> <p>The Beneficiary has to pay 10% margin money on Bank Loan.</p>										



	<p>देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हों तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	
14.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
15.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हों तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>
16.	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged</p>	<p>बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Provision of Bank Loan is there.</p>

	under the Scheme.	
17.	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है। Not Required.</p>
18.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any</p>	<p>1. पावर टिलर, शक्ति चलित यंत्र, तथा बैल/हस्त चलित कृषि यंत्रों पर राज्य शासन द्वारा 10 से 25% का अतिरिक्त अनुदान बलराम कृषि यांत्रिकीकरण योजनांतर्गत दिया जा रहा है। 2. मशीनों एवं कृषि यंत्रों का क्रय/प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवं विभाग में राज्य/जिला स्तर पर पंजीकृत प्रदायकों के माध्यम से किया जाता है।</p> <p>1. Sate Govt. is giving an additional subsidy of 10 to 25% on all the items except Power driven implements and Bullock/Hand tools implements &amp; Power tiller under Balram Krishi Yantrikikaran yojna. 2. Power Tiller and Agriculture implements are purchased through CG State Beej evam Krishi Vikas Nigam and suppliers registered at state/distt. level in the deptt. of Agri.</p>

1.	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable).</p>	<p><u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत "कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना"</u></p>
2.	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित।</p> <p>State Govt. Sponsored.</p>
3.	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर।</p> <p>Directorate of Agriculture (Engineering) CG Raipur.</p>
4.	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग</p> <p>Agriculture Engineer, Department of Agriculture (Engineering)</p>
5.	<p>योजना का उद्देश्य.</p> <p>Objective of the Scheme.</p>	<p>(1) राज्य में उन्नत कृषि मशीनों/यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन।</p> <p>(2) आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक जो प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु पृथक मशीन/यंत्र क्रय करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें किराये पर उन्नत कृषि मशीनें/यंत्र उपलब्ध कराना।</p> <p>(3) निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।</p> <p>(4) राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर में वृद्धि के साथ श्रम एवं समय की बचत।</p> <p>(5) फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार।</p>

		<p>(1) To promote agriculture work with Agril. machine/ implements.</p> <p>(2) Those farmers who can not afford to buy different agril. machine/implements can be provided on hire basis.</p> <p>(3) To promote private sector on agril. entrepreneurship</p> <p>(4) To improve farm mechanization in state and to save time and labour.</p> <p>(5) To increase crop production and improve economic status of farmers.</p>
6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित.</p> <p>All Districts of the State.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)</p>	<p>सभी वर्गों के हितग्राहियों के लिये</p> <p>All type of categories</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो</p> <p>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</p>	<p>निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों/स्व सहायता समूहों (कम से कम पांच सदस्यीय)/अशासकीय संस्थाओं आदि</p> <p>Intrested private sector agril. entrepreneurs/self help group (at laeast five members)/NGo.</p>

9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</p>	<p>व्यक्तिगत रूप या समूह के रूप में दी जाती है।</p> <p>Assistance is provided on individual basis or in group.</p>
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>प्रत्येक "कृषि यंत्र सेवा केन्द्र" हेतु 10.00 लाख अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सबसिडी के रूप में</p> <p>Rs. 10.00 lakh for each "Krishi Yantra Seva Kendra" as credit linked back ended subsidy.</p>
11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।</p> <p>यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</p>	<p>बैंक की नीति अनुसार</p> <p>As per bank policy.</p>
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>कोई नहीं</p> <p>Nothing.</p>

13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.</p>	<p>न्यूनतम 25.00 लाख की कीमत के 2 या 3 ट्रैक्टर सहित जमीन की तैयारी, बोनी, फसल कटाई एवं थ्रेशिंग के कृषि मशीनों/यंत्रों के क्रय किये जाने पर 10.00 लाख की राशि क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सबसिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।</p> <p>Rs. 10.00 lakh is provided as credit linked back ended subsidy on purchase of 2-3 tractors along with land preparation, sowing, planting, harvesting &amp; threshing machine of least 25.00 lakh.</p>
14.	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हाँ</p> <p>Yes</p>
15.	<p>क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं।</p> <p>Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>जी हाँ, छायाप्रति संलग्न</p> <p>Yes, Photocopy enclosed</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any</p>	<p>चालू वर्ष 2011-12 में यह योजना विशेष केन्द्रीय सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत क्रियान्वित की जा रही है जिसे वर्ष 2013-14 से राज्य पोषित बलराम कृषि यांत्रिकीकरण योजना में नवीन घटक के रूप में क्रियान्वित किया जाना शासन के विचाराधीन है। स्वीकृति उपरांत जिलेवार योजना तैयार की जा सकेगी।</p> <p>This scheme is being implemented in the current year 2011-12 under special GoI Assisted RKVY and is proposed to be implemented as a new component under Balram Krishi Yantrikikaran Yojna in the year 2013-14, Districtwise plan can be prepared after govt. approval.</p>

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी**

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)	<p><u>1) बैंक ऋण पर फलोद्यान</u></p> <p>अ. केला</p> <p>ब. पपीता</p> <p>स. आम</p> <p><u>2) अनुबंधित उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार योजना</u></p>
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	<p>1) Fruit Plantation on Bank Loan</p> <p>Banana</p> <p>Papaya</p> <p>Mango</p> <p>2) MOU of Aromatic Crops</p>
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	<p>1) राज्य योजना</p> <p>2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना</p>
	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?	<p>1) State Scheme</p> <p>2) State &amp; Central Govt. Scheme</p>
3.	राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Director Horticulture

5.	योजना का उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>* व्यवसायिक केलों की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* व्यवसायिक पपीता की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* व्यवसायिक आम की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना</li> </ul>
	Objective of the Scheme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Banana</li> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Papaya</li> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Mango</li> <li>* Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers</li> </ul>
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।	<p>1. <b>अ</b> – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>ब</b> – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>स</b> – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p>
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	<p>1. a - Being implemented in all Distt.</p> <p style="padding-left: 40px;">b - Being implemented in all Distt.</p> <p style="padding-left: 40px;">c - Being implemented in all Distt.</p> <p>2. Being implemented in all Distt.</p>
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पुरुष/महिला आदि।	<p>1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक।</p> <p>2) सिंचाई साधन युक्त भू-स्वामी कृषक।</p>
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.	<p>1) All types of farmers alongwith irrigation facilities</p> <p>2) Land holding farmers for identified crops.</p>
8.	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	<p>1) नाबार्ड द्वारा नियत मापदंड</p> <p>2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू-स्वामी कृषक</p>



	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) व्यक्तिगत/समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1) Individual 2) Individual/Group
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	अ. अनुदान प्रति हे. 5500/- एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. रूपये 11000/- या 25 प्रतिशत अनुदान ब. 5250/- प्रति हे. एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. के लिए रूपये 11500/- या 25 प्रतिशत अनुदान। स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान रू.10937.50 जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50 द्वितीय वर्ष 1395/- एवं तृतीय वर्ष 1635/-रूपये चतुर्थ वर्ष 1897.50 एवं पंचम वर्ष में 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हैं. या 25 प्रतिशत अनुदान। 2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।
	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum  Maximum  GOI Contribution  State Government contribution	a. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5500/- & maximum upto 2 hec. is Rs. 11000/- or 25% b. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5250/- & maximum upto 2 hec. is Rs 11500/- or 25% c .Per hectare subsidy is Rs. 10937.50 in which first year subsidy is 3967.50 for second year Rs. 1395/- 3 <sup>rd</sup> year Rs.1635 /- 4 <sup>th</sup> year Rs.1897.50 and 5 <sup>th</sup> year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% 2.Maximam 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation. Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.
11..	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	नहीं

	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12..	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. केले की बगीचे लगाना</li> <li>2. पपीता के बगीचे लगाना</li> <li>3. आम के बगीचे लगाना</li> <li>4. आम फलोद्यान एवं अंतराशस्य, पचौली, खस, लेमनग्रास, जामारोजा फसल लगवाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ. यू. के तहत सुनिश्चित करना ।</li> </ol>
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plantation of Banana.</li> <li>2. Plantation of Papaya.</li> <li>3. Plantation of Mango.</li> <li>4. Plantation of Mango and inter culture cropping, Pacholi, Khas, Lemongrass, Jamaroja and sale through MoU.</li> </ol>
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	<p><b>अ.</b> रु. 22000 /- प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 44000 /-</p> <p><b>ब.</b> रु. 23000 /- प्रति हे. एक हितग्राही के लिए अधिकतम 46000 /-</p> <p><b>स.</b> रु. 43750 /- प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 87500 /-</p>
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per beneficiary Rs. 22000/- per Hect. &amp; maximum upto 2 Hect. is Rs. 44000/-</li> <li>2. Per beneficiary Rs. 23000/- per Hect. &amp; Maximum upto 2 Hect. is Rs. 46000/-</li> <li>3. Per beneficiary Rs. 43750/- per Hect. &amp; maximum upto 2 Hect. is Rs. 87500/-</li> </ol>

14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हां</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं ।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>हां</p> <p>हां</p> <p>Yes</p> <p>Yes</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any</p>	<p>प्रति हे कॉस्ट लागत नाबार्ड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण मांग परिवर्तनीय होगा ।</p> <p>कोई विशेष नहीं ।</p> <p>The loan amount will change if NABARD changes the unit cost of the crop.</p> <p>No any prescribed details.</p>

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p>	<p><b>1) सूक्ष्म सिंचाई शासन योजना</b> टपक / बूंद-बूंद सिंचाई</p> <p><b>2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. माडल नर्सरी की स्थापना (4 हे.)</li><li>2. मशरूम स्पान यूनिट</li><li>3. संरक्षित खेती अन्तर्गत ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का निर्माण</li><li>4. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत टयुबलर स्ट्रक्चर का निर्माण</li><li>5. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत वुडन स्ट्रक्चर का निर्माण</li><li>6. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत बांस स्ट्रक्चर का निर्माण</li><li>7. बायो कन्ट्रोल लैब की स्थापना</li><li>8. प्लान्ट हेल्थ क्लिनिक की स्थापना</li><li>9. उद्यानिकी यंत्रीकरण</li><li>10. प्री कूलिंग यूनिट की स्थापना</li><li>11. कोल्ड स्टोरेज</li><li>12. रिपिनिंग चेम्बर का निर्माण</li></ol>
---	---	--

	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	<p>1) Drip Irrigation</p> <p>2) 1. Model Nursery(4 Ha.) 2. Mushrooms Spawn Unit 3. Green House Structure under Protected Cultivation 4. Tubular Structure under Naturally Ventilated System 5. Wooden Structure under Naturally Ventilated System 6. Bamboo Structure under Naturally Ventilated System 7. Bio Control Lab 8. Plant Health Clinic 9. Horticulture Mechanization 10. Pre-cooling Unit 11. Cold Storage Unit 12. Ripening Chamber</p>
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	<p>1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना</p> <p>2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना</p>
	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?	<p>1) State &amp; Central Govt. Scheme</p> <p>2) State &amp; Central Govt. Scheme</p>
3	राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture
5	योजना का उद्देश्य	<p>उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना।</p> <p>उद्यानिकी फसलों का विकास एवं उत्पादन के पश्चात खराब होने से बचाने की योजना।</p>
	Objective of the Scheme.	<p>To increase Water used efficiency of available water .</p> <p>To protect crops after production.</p>

6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।	<p>1. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>2. उन्नीस जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>(जगदलपुर, कोण्डागांव ,कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जशपुर ,कोरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं राजनांदगांव )</p>
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	<p>1. Being implemented in all Distt</p> <p>2. Being implemented in Nineteen District</p> <p>(Bastar, Kondagoan, kabirdham, Bilaspur, Mungeli, Raigarh, Sarguja, Balrampur, Surajpur, Korba, Durg, Balod, Bemetara, Jashpur , Koriya, Raipur, Balodabazar, Gariyaband &amp; Rajnandgaon.</p>
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पुरुष/महिला आदि।	1) सभी वर्ग के भू-स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Wonen etc.	All types of Land holding farmers.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) भू-स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खड़ी फसल हो।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	<p>1) As per criteria prescribed by the NABARD.</p> <p>2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.</p>
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	<p>1 – व्यक्तिगत स्तर पर</p> <p>2– व्यक्तिगत स्तर पर</p>
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	<p>1 . Individual.</p> <p>2 . Individual</p>

10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p>	<p>1- संपूर्ण सहायता लागत के 90 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक देय होगा।</p> <p>2 1. 4 हे. नर्सरी हेतु रु 3.125 लाख प्रति हे या 12.50 लाख अधिकतम अनुदान।</p> <p>2. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 7.50 लाख अनुदान।</p> <p>3. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 7.325 लाख अनुदान।</p> <p>4. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 4.675 लाख अनुदान।</p> <p>5. प्रति हितग्राही दो इकाइयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 1.288 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 500 वर्ग मीटर से अधिक न हो।)</p> <p>6. प्रति हितग्राही पांच इकाइयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 0.375 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो।)</p> <p>7. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 40.00 लाख अनुदान।</p> <p>8. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10.00 लाख अनुदान।</p> <p>9. प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 17500/- एवं 20 हार्सपावर से अधिक की मशीनो हेतु अधिकतम रु. 1.50 लाख।</p> <p>10. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत के सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख से रु.8.25 लाख तक</p> <p>11. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत के सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख से रु.8.25 लाख तक</p>
----	---	---

	<p>Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government contribution</p> <p>Credit linked back-ended subsidy @ 25 % of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribal Areas.</p> <p><b>b.</b> Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribal Areas .</p>	<p><b>1-</b> The assistant will be limited to 50 % of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area Covered under the crop by the farmer.</p> <p><b>2- 1.</b> For 4 Ha. Nurse Rs. 3.125 Lac per Ha. maximum Rs. 12.50 Lac.</p> <p>2. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 7.50 Lac.</p> <p>3. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 7.325 Lac.</p> <p>4. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 4.675 Lac.</p> <p>5. limited to 2 units not to exceed 500 sq.m per beneficiary.@ 50 % subsidy maximum Rs. 1.288 Lac.</p> <p>6. limited to 5 units not to exceed 200 sq.m per beneficiary.@ 50 % subsidy maximum Rs. 0.375 Lac</p> <p>7. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 40.00 Lac.</p> <p>8. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 10.00 Lac.</p> <p>9. . @ 50 % subsidy of the cost limited to one set per beneficiary . maximum Rs. 0.175 Lac.&amp; . maximum Rs. 1.50 Lac for above 250 H.P. Machines.</p> <p>10. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly &amp; Tribal Areas . maximum Rs. 6.00 Lac to 5.25 Lac.</p> <p>11. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly &amp; Tribal Areas . maximum Rs. 120.00 Lac to 165.00 Lac.</p> <p>12. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly &amp;</p>
11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p>	<p>नहीं</p>
	<p>whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>No</p>



12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं ।	<p>1. फल,सब्जियों ,औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना ।</p> <p>2. कृषक प्रक्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ।</p>
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	<p>1- Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's</p> <p>2- Establishment of Cold Storage in the farmer field .</p>
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	<p>1. रू. 26500 /- प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 5 हे. अधिकतम</p> <p>2- 50.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही (सामान्य) तथा 66.66 लाख पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए</p>
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	<p>1 . Per beneficiary Rs. 26500/- per Hect. maximum upto 5 Hect.</p> <p>2. 50 Lakh per unit Per beneficiary for general areas &amp; 66.66 Lakh in case of Hilly &amp; Tribal Areas.</p>
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes
15-	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	कोई विशेष नहीं
	Additional details, if any	No any prescribed details

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम:- उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर**

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नाम सहित (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए) Name of the scheme with sub-Components, if any.	<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u> <u>Prime Minister's Employment Generation Programme</u>
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme .	भारत सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा प्रवर्तित है । Government of India KVIC Sponsored Scheme
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodel Department/directorate at the State level responsible for Sponsoring for implementing the Scheme .	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग Khadi & Village Industries Commission.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodel office at the District level Responsible for Implementing the Scheme.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग Khadi & Village Industries Commission. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र District Trade & Industries Centre खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड Khadi Gramoudhyog Board C.G.
5.	योजना का उद्देश्य Objective of Scheme .	नये स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं /सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना ।  To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up new self employment ventures/ projects/micro enterprises.
6.	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की रही है । यदि नहीं तो कहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाये । Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state? If no indicate the resion/district/ blocks where the scheme is under implementation .	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में योजना क्रियान्वित की जा रही है । The scheme is being implemented in all District of C.G. State .
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Women etc.)	सभी वर्ग सामान्य, अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित है । i. e. General/sc/st/obc/ women/physically Handicapped etc. are covered under the scheme.
8.	हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड, यदि को हो तो Eligibility criteria for the beneficiaries, if any	1. उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। 2. विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित रु. 10.00 लाख से अधिक के परियोजनाओं तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में रु. 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों को कम से कम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो ।

		1- Age of beneficiaries should be above 18 year. 2- For setting up of project casting above Rs. 10.00 lakhs in the manufacturing sector and above Rs. 5.00 lakhs in the business/ Service sector, the beneficiarees should possess at least VIII Standard pass education qualification
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है । Whether assistance is provided on annidual bassis/group bassis or both .	दोनों Both
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे) Details of subsidy provided, if the subsidy is provided on the bassis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	सामान्य वर्ग— शहरी 15% ग्रामीण 25% , विशेष वर्ग— अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि । शहरी 25% ग्रामीण 35% For General-urban sector- 15% rural sector- 25% For Special categories (SC/ST/OBC/Min./ Women/PH etc.) Urban sector- 25% Rural sector- 35%
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये । Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy beinig provided if so, details there of may please be	सामान्य वर्ग— 10% विशेष वर्ग— अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि 5% General category 10% Special category (SC/ ST/OBC/Women/ etc.) 5%
12.	किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the scheme .	उद्योग / सेवा क्षेत्र Industries/Service sector
13.	कृपया व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group If so please give details.	उद्योग हेतु अधिकतम रू. 25 लाख एवं सेवा/व्यवसाय हेतु अधिकतम रू. 10 लाख रुपये For Industries Maximum limit up to Rs. 25.00 lakhs For Service sector Maximum limit up to Rs. 10.00 lakhs
14.	क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है । Whether any bank loan is envisaged under the scheme	हां Yes
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये हैं । Whether any projects profile etc. have been prepared by the State Government for the use of beneficiaries .	नहीं NO
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो । Additional details if any.	---

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम - संचालनालय मत्स्योद्योग**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the scheme with su-components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण</p> <p>Fish Farmer Development Agency.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?</p>	<p><u>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना</u></p> <p><u>Centrally Sponsored Scheme</u></p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।</p> <p>Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़</p> <p>Fisheries Department Chhattisgarh</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है ।</p> <p>Fish Farmer Development Agency is a Registered body.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना ।</li> <li>2. पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना ।</li> <li>3. मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया है, संघन मछली पालन विधि अल्पावधि प्रशिक्षण योजना है ।</li> <li>4. मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिये बैंक से लम्बी अवधि को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के</li> </ol>

		<p>लक्ष्य प्राप्त करना ।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition through fish culture.</li> <li>2. Barran water area are utilised through integrated fish farming.</li> <li>3. Identify fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training.</li> <li>4. Loan and subsidy will be provided for 1<sup>st</sup> year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.</li> </ol>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के पुराने 7 जिलों में योजना पंजीकृत है, जिसके अधीन प्रदेश के सभी नये जिले आ रहे है ।</p> <p>FFDA is registered in 7 districts of the state and all new districts covered this scheme.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं</p> <p>(लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/ महिला आदि</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women etc.)</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है ।</p> <p>Under FFDA Scheme beneficiaries are BPL class.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ?</p>	<p>गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति ।</li> <li>2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह ।</li> <li>3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विशेष ।</li> <li>4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति ।</li> <li>5. स्व सहायता समूह ।</li> </ol> <p>Illigibility criteria for this scheme is BPL. Priorities</p>

	Eligibility criteria for the beneficiary, if any	<p>fixed are as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Society of fishermen ST/SC.</li> <li>2. Group of fishermen ST/SC.</li> <li>3. Individual fishermen ST/SC.</li> <li>4. Migrated societies group/individual.</li> <li>5. Self help group.</li> </ol>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ?</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis</p>	<p>सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।</p> <p>Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/groups/individual.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum Maximum GOI contribution State Government contribution</p>	<p>भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क्र. 31013/4/2001-fy(3) दिनांक 26.3.04 की छायाप्रति संलग्न है । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें से 75 प्रतिषत भारत सरकार तथा 25 प्रतिषत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है ।</p> <p>Photocopy of letter no. 31035/4/2001-fy(3) of Govt. of India Agriculture Ministry, Veterinary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 75:25 basis between Govt. of India and State. the pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for fish farmer development agency in the item no. 1 to 15 as follow:-</p> <p><b>1. तालाबों का निर्माण:—(एन.एम.पी.एस.योजना अन्तर्गत)</b></p> <p>1.1 तालाबों का निर्माण –</p> <p>अधिकतम 10 हे./हितग्राही हेतु तालाब निर्माण की राशि रु. 5.00 लाख प्रति हे. एवं मत्स्य उत्पादन के लिये राशि रु. 2.00 लाख अनुदान की दर 40 प्रतिषत सभी किसानों के लिए integrated aquaculture approach scheme के तहत देय होगी ।</p> <p>1.2.मत्स्य बीज संवर्धन पोखर का निर्माण:—</p> <p>अधिकतम 10 हे./हितग्राही हेतु तालाब निर्माण की राशि रु. 6.00 लाख प्रति हे. एवं मत्स्य उत्पादन के लिये राशि रु. 2.00 लाख अनुदान की दर 40 प्रतिषत सभी किसानों</p>

के लिए integrated aquaculture approach scheme के तहत देय होगी।

1. Construction of new ponds: Under NMPS

1.1 Construction of new ponds-

Rs. 5.00 lakh/ha. for construction of pond and Rs. 2.00 lakh/ha. for input cost for fish production in one unit of integrated aquaculture approach scheme. Under scheme subsidy @ of 40% with a ceiling of Maximum 10ha./BF for all fish farmers .

1.2. Construction of fish nursery ponds-

Rs. 6.00 lakh/ha. for construction of fish nursery pond and Rs. 2.00 lakh/ha. for input cost for seed rearing in one unit of integrated aquaculture approach scheme. Under scheme subsidy @ of 40% with a ceiling of Maximum 10ha./BF for all fish farmers.

2. तालाबों/टैंकों का पुनरुद्धार/नवीनीकरण रु. 75000/हे.। अनुदान दर सभी किसानों को रु. 15000/हे. अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु. 18750/हे. ।

2. Reclamation/Renovation of ponds/tanks Rs. 75000/ha. subsidy @ of 20% with the ceiling of Rs. 15000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 18750/ha. (25%).

3. परिपूरक आहार हेतु :

अ. फिनफिश कल्चर— रु. 50000/हे. अनुदान दर सभी किसानों को 20 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रु. 10000/हे. अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु. 12500/हे. रु. 25 प्रतिषत ।

ब. मीठे जल में झींगा पालन— इकाई लागत रु. 1.80 प्रति हे. अनुदान की दर 20 प्रतिषत अधिकतम सीमा रु. 36000/हे.। अजा/जजा 45000/—(25%).

3. Cast of inputs

A. Finfish culture - Rs. 50000/ha. subsidy @ of 20% with the ceiling of Rs. 10000/ha. for all farmers except

SCs/STs for whom it will be Rs. 12500/ha. (25%).

B. Fresh water prawn culture – Unit cost Rs. 1.80/ha. subsidy @ of 20% with the ceiling of Rs. 36000/ha for ST/SC Rs. 45000/-.

4. ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी –

मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फ्राई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रु. 12 लाख तथा पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य क्षमता के साथ रु. 16 लाख अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रु. 1.20 एवं 1.60 अनुदान सहायतार्थ केवल उद्यमियों को ।

4. Fresh water fish seed hatchery : Rs. 12 lakh for a fish seed hatchery with 10 milion (fry) capacity for the plain area and Rs. 16 lakh for same capacity in the hill state/district and NE region subdsdiy @ 10% with a cealing of Rs. 1.20 & 1.60 in the hilly areas to entrepreneurs only.

5. फिषफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रु. 7.50 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विटल है अनुदान की दर 20 प्रतिषत के साथ अधिकतम सीमा रु. 1.50 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को ।

5.Fish Feed Unit : Small unit Uinit cost is Rs. 7.50 lakh with a capacity of 1.2 qintal/ day. The subsidy would be @ 20% with a sealing of Rs. 1.50 lakh/unit to enterprnure.

6. टाऊट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना –

(1) 25 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रूपये है । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुष्ट अनुदान ।

(2) 5 से 10 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 12 लाख रूपये है । केवल उद्यमियों को रु. 2.40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से एक बार देय ।

6.Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery:



(1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level.

(2) Unit cost of is Rs. 12 lakh for a small hatchery with 5-10 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 20% with the ceiling of Rs. 2.40 lakh to entrepreneur as one time grant.

7. प्रत्येक एफएफडीए को मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट का प्रावधान है – प्रत्येक मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट की यूनिट लागत रु. 30 हजार है । प्रत्येक एफएफडीए को एकमुष्ट अनुदान के रूप में एक बार कीट मंजूर की जाती है ।

7. Provision of soil and water testing kits to each FFDA: Unit cost of each soil and water testing kits is Rs. 40000. The kits are sanctioned once to each FFDA as one time grant.

8. सजावटी मछलियों के लिए हैचरियां सहित समेकित इकाई का गठन: इकाई लागत रु. 15.00 लाख जिसमें 5-10 मिलियन (फ्राई) की क्षमता की हैचरी शामिल है । मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए रु. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अनुदान सहायता ।

8. Setting up of integrated units, including hatcheries for ornamental fishes; Unit cost is Rs. 15.00 lakh, which includes hatchery of 5-10 million (fry) capacity. Subsidy @ of 10% with a maximum ceiling of Rs. 1.50 lakh to all categories of fish farmers.

9. सजावटी मछलियों के प्रजनकों को रखने की व्यवस्था हेतु रु. 25 लाख प्रति इकाई इसमें एक फार्म परिवहन की पूरी व्यवस्था होगी । यह राज्य प्शासन के लिए उपलब्ध है ।

9. Brood banks for ornamental fishes-Rs. 25 lakh per unit including a farm, transport arrangements for dissemination. Available for the State Governments.

10. आलंकारिक/मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण—रु. 25 लाख प्रति ईकाइ । इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जांच हेतु लैब की व्यवस्था । यह

		<p>राज्य शासन के लिए उपलब्ध है ।</p> <p>10.Ornamental/fish seed certification- Rs. 25 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories. Available for the State Governments.</p> <p>11. मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफएफडीए को ढुलाई किए गए हजार फ्राई के लिए रू. 20 की दर से अनुदान सहायता व्यक्तिगत किसानों के लिए लागू नहीं ।</p> <p>11.Transportation of fish/prawn seed:- This will be applicable only for the hill state of the districts and NE region. Subsidy @ of Rs. 20 for 100 fry transported to all FFDA's. Not applicable to individual fish farmer.</p> <p>12. वाहनों की खरीद – नए मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिशत लागत तथा वाहन बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिशत लागत ।</p> <p>12.Purchase of vehicle : 50% cost of vehicle for each new FFDA and 50% cost for the replace vehicle (Second vehicle).</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं ।</p> <p>No.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme</p>	<p>ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है ।</p> <p>To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.</p>

13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत है ।</p> <p>No ceiling has been fixed for individual/ groups.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हां है ।</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है ।</p> <p>Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है । भारत शासन के परिपत्र के बिन्दु क्र. 1 से 12 में उल्लेखित अनुसार अनुदान राशि दी जाती हैं</p> <p>Govt. of India mempoint No. 1 to 12.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>नहीं है ।</p> <p>No.</p>

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम- छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं**  
**विकास निगम मर्या, रायपुर**

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागु होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	जी हाँ
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. जिला
5	योजना का उद्देश्य	<u>स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना</u>
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन की जा रही है। यदि नहीं तो यहाँ पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के सभी जिलों के लिए योजना संचालित।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, को ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 तक अनुदान जो भी कम हो देय होगा।

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाये ।	नहीं ।
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	कृषि सम्बन्धित क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र/परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में ।
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	राशि रू. 20,000/- से अधिक
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।	<u>अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति)</u> <u>आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति)</u> <u>बैंक प्रवर्तित योजनाएँ है ।</u>
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है ।	आवश्यक नहीं पूर्व पेटर्न पर है।
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  
विभाग का नाम :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
(01.04.2013 से प्रभावशील)**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following sub-component-wise, if applicable)</p>	<p><a href="#"><u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (01.04.2013 से प्रभावशील)</u></a></p> <p><a href="#"><u>National rural Livelihood mission (w.e.f. 01.04.2013)</u></a></p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है</p> <p>Government of India Sponsored Scheme.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</p> <p>Panchayat &amp; Rural Development Department</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Department at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>समस्त जिला पंचायतें</p> <p>All Zila Panchayat</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>ग्रामीण गरीब परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना ।</p> <p>To provide economic assistance to rural poor families to uplift from poverty.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? if not, kindly indicate the regions /districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>जी हाँ । राज्य की सभी 27 जिला पंचायतों के 146 विकासखंड में क्रियान्वित की जा रही है ।</p> <p>Yes, Implementing in 27 District Panchayat and all 146 Blocks of the State.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme.</p>	<p>इसमें पी.आई.पी. के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।</p> <p>As per PIP list identified families are benefited.</p>

	(SF/MF/OF/ SC/ST/Other/Men/Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility Criteria for the beneficiary, if any	इसकी विस्तृत दिशा निर्देश भारत शासन से आने वाली हैं। Detailed guide lines in this requard is awaited.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis /group basis/both, individual and group basis.	केवल समूह स्तर पर Assistance would be provided to only on group basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate(%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	ब्याज अनुदान, ऋणों का तुरंत भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा। यह बैंक ऋण पी.एल.आर. तथा 7 प्रतिशत बेंचमार्क के अंतर का, अनुदान रहेंगा। Interest subsidy would be provided on the basis of the prompt repayment. There will be benchmark of 7% The difference between the PLR of Bank and 7%, would be interest subsidy.
	भारत सरकार का अंशदान Government of India Share.	75 प्रतिशत 75%
	राज्य सरकार का अंशदान State Government Share.	25 प्रतिशत 25%
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	निरंक Nil
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनानतर्गत अपेक्षित है। Type of economic activities envisaged under the Scheme.	प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर की उस विकास खण्ड हेतु चयनित कोई भी गतिविधि हेतु स्व- सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। Any economic activities identified by the SHG under primary, secondary and tertiary sector can be provided.

13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower /group. If so, please give details.</p>	<p>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परियोजना की कुल लागत विनियोजन की आवश्यकतानुसार निर्धारित होती है ।</p> <p>No ceiling has been fixed on financial outlay in National rural livelihood mission. Total cost of the project depends upon investment on project.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हाँ ।</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं ।</p> <p>Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>जी हाँ इसके अंतर्गत समूह द्वारा स्वयं अपना माईक्रो क्रेडिट प्लान बनाया जावेगा ।</p> <p>Yes under this scheme the group will himself prepare micro credit plan.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>निरंक</p> <p>Nil</p>



**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम:- ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) रायपुर**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following details sub-component wise, if applicable)</p>	<p>ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक/ परिवार मूलक कार्यक्रम- योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है-</p> <p><b><u>1 टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-</u></b></p> <p>अ) टसर धागाकरण योजना</p> <p><b><u>2 अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेशम उत्पादन योजना</u></b></p> <p>Rural Employment beneficiary scheme/Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasar silk development &amp; Extension Programme (A) Tasar reeling scheme.</li> <li>2. Eri Plantation (caster)/Eri silk Production Scheme.</li> </ol>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना है।</p> <p>Both Govt, of India &amp; State sponsored scheme.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग)</p> <p>Directorate of Rural Industries (Sericulture Division)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के अधीनस्थ जिला रेशम अधिकारी</p> <p>District Sericulture Officer.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे, गरीब परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। रेशम योजना से ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेशम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।</p> <p>The main Objectives are:-          To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the Rural areas. To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self employment under sericulture scheme the rural areas.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी</p>	<p>टसर रेशम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के सभी जिलों में</p>

<p>जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the state? If not, indicate the region/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>तथा अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेषम उत्पादन योजना जषपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कांकेर, कोरिया, रायगढ, रायपुर एवं जगदलपुर में संचालित है।</p> <p>Tasar silk development &amp; extension scheme is being implemented in all districts of the state &amp; Eri silk production scheme is being implemented only in districts of Ambikapur, Jashpur, Kanker,koriya,Raigarh, Raipur &amp; Jagdalpur.</p>
<p>7 किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त, कृषक/अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SC/MF/OF/ SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>योजनांतर्गत सीमांत/ भूमिहीन कृषक वर्ग के विशेष रूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभावित किया जाता है।</p> <p>Marginal/Landless especially SC/ST &amp; OBC main woman beneficiaries are being benefited by these scheme.</p>
<p>8 हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any.</p>	<p>संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है—</p> <p>अ) टसर धागाकरण— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु।</p> <p>ब) अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेषम ककून उत्पादन योजना— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही जो स्वयं की सिंचित भूमि में पौधरोपण (अरण्डी/षहतूत) करने के इच्छुक हो।</p> <p>Parameters for the Beneficiaries-</p> <p>Tasar reeling: - For SC/ST/OBC beneficiaries Caster Plantation/ Eri Cocoon development scheme - SC/ST/OBC beneficiaries who are interested to develop own mulberry or castor plantation in half/one acre irrigated land.</p>
<p>9 क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual/ group basis or both.</p>	<p>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जावेगी।</p> <p>Both individual &amp; Group Basis.</p>

10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं है। राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित योजना में मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को स्वयं की भूमि पर प्रदर्शन प्लॉट योजना हेतु राशि ₹0 15000/- का सामग्री के रूप आर्थिक सहायता दी जा रही है।</p> <p>No provision has been made to provide subsidy in the sericulture sector of Rural industries. State Govt. is providing Rs. 15000/- as material cost &amp; financial assistance for development of mulberry under demonstration plot scheme.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा वर्तमान संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नहीं है। राज्य साख योजना के अंतर्गत प्रस्तावित उप योजना हेतु निम्नानुसार हितग्राहियों द्वारा मार्जिन देने का प्रावधान प्रस्तावित है—</p> <p><b>टसर धागाकरण—</b> टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग हेतु इकाई लागत ₹0 35450/- प्रति इकाई प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा।</p> <p>There is no provision of margin money in this scheme but it is proposed to give margin money under sub plan of state Credit Plan as under:-</p> <p><b>Tasar Reeling:-</b> Total unit cost of Reeling &amp; Spinning Machines are Rs 35450/- amount burned by beneficiaries through bank loan.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p><b>1 टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग) हेतु बैंक ऋण राशि ₹0 35450/- प्रति इकाई ।</b></p> <p><b>2 अरण्डी पौधरोपण/ईरी विकास योजना ₹0 9000/- प्रति एकड़/इकाई लागत है।</b></p> <p>(1) Mank loan amount for Tasar reeling &amp; spinning is Rs 35450/- per unit approved by NABARD.</p> <p>(2) The unit cost of Eri development in 1 acre is Rs 9000/-.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been</p>	<p>उपरोक्तानुसार.</p> <p>As above.</p>

	fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.	
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हाँ, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है। Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं। Whether any project profiles, etc. Have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>नहीं No.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any.</p>	<p>निरंक Nil</p>

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड**

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित करें।  Name of the Scheme with Sub-components,if any	<u>परिवार मूलक योजना</u>  <u>Family Oriented Scheme.</u>
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है?  Whether it is government of India/State Government sponsored Scheme	राज्य शासन  State Government .
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।  Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड  CG Khadi and Gramodyog Board.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।  Nodal office at the Distict level responsible for implementing the Scheme	खादी बोर्ड में जिला अधिकारी।  District Officer of Khadi Board.
5	योजना का उद्देश्य।  Objective of the Scheme	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।  Employment Generation in rural areas.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/ जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।  Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation	राज्य के सभी जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।  The scheme is being implemented in all the districts of the State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं ( लघु कृषक/सीमांत कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष / महिला आदि)  Type of Beneficiaries covered under the	सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं।  All types of Beneficiaries.

	Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/ Men/ Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो  Eligibility criteria for the beneficiary, if any	18 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा बैंक से डिफाल्टर न हो।  Age over 18 years and not a defaulter of bank.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनो व्यक्तिगत व्यक्तिगत समूह स्तर पर दी जाती है?  Whether assistance is provided on an individual basis/both, individual and group basis.	व्यक्तिगत/समूह स्तर  Both individual & group basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें)  Whether assistance is provided on an individual/group basis or both.	परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अल्प संख्यक एवं सामान्य वर्ग को परियोजना लागत के 50: या अधिकतक 13500/- अनुदान देय जो भी कम हो।  Maximum subsidy Rs. 13500/- Subsidy is provided to SC/ST/OBC/ General / Minority Category family 50% subsidy of the project cost or Rs. 13500/- whichever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।  Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) लगाने का प्रावधान नहीं है।  No provision of margin money.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है?  Type of economic activities envisaged under the Scheme.	ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता है।  Loan amount is provided by National Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें?  Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.	अधिकतम एक लाख रुपये तक सीमा निर्धारित है।  Maximum limit is Rs. 1.00 lacs.

14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है?</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>Loan is sanctioned to Beneficiaries as per Project Cost.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल) तैयार कर लिये गये हैं?</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>नहीं</p> <p>No</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any.</p>	<p>योजना का क्रियान्वयन बीस हजार से कम आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।</p> <p>Scheme implemented on Rural Areas, Population below twenty thousand.</p>

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो ) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए )	<u>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना</u> प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.12.1997 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है । भारत सरकार द्वारा 01.04.2007 से योजना पुर्नगठित की जाकर संशोधन गाईड लाईन जारी की गई है ।
	Name of the Scheme with sub-components,if any please give the following details sub-components wise if applicable.	<u>The Swarna Jayanti Shahri Rojgar Yojna(SJSRY)</u> is being sponsored by Central Govt of India from 01-12-97 to provide gainful employment for the urban Poor consisting of special scheme namely :- 1-USEP (Urban Self Employment Programme) 2-UWSP(Urban Women Self HelpProgramme) 3.UWEP(Urban Wage Employment Programme) The scheme is revised from 01-04-2009 and new guideline have been issued by Govt of India
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 निर्धारित किया गया है ।
	Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?	Yes, The SJSRY is Sponsored by the Govt of India which shall be funded on a 75:25 basis between the Central &State Govt.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण उत्तरदायी नोडल विभाग है ।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Nodal Agency on State Level for implementation of the Scheme is (SUDA) Sate Urban Development Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण नोडल विभाग है ।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	On district level the Scheme be implemented by (DUDA) District Urban Development Agency
5	योजना का उद्देश्य ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से ऋण एवं राशि द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा विभाग रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम में हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है , जिसमें उनको शासन द्वारा शिष्यावृत्ति दी जाती है । योजना का उद्देश्य यह है कि शहरी गरीबी हितग्राही अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर शहरी गरीबी रेखा से उपर उठकर जीवन यापन कर सकें ।
	Objective of the Scheme	The Yojana is only for those families & persons living under the below poverty line(BPL). Loan is provided by Nationalized Bank and subsidy by the Govt. to establish their self-employment. The Training is also provided for which they get stipend so that the urban BPL family may establish their self-employment.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो	यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है ।



	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए ।	
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	Yes the Scheme is being implemented in urban local bodies of all districts of the State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग/पुरुष/महिला आदि ।	योजनान्तर्गत शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी परिवारों को सम्मिलित किया गया है । इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पछिडा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विकलांग पुरुष एवं महिलाओं को निर्धारित मापदण्ड अनुसार लाभान्वित कया जाता है । हितग्राहियों के लिए यह आवश्यक है कि वह शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करता हो और नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीब परिवार के लिए किये गये सर्वे सूची में दर्ज है ।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	Under the Scheme all the Beneficiaries from the list of BPL families are included SC,ST, OBC, Minorities, Handy Capped & Women are Benefited in this Scheme as per the norms decided by Govt. of India. It is essential for all Beneficiaries that his name should be in BPL Survey List which is approved by District Collectors
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	हितग्राहियों के लिए यह आवश्यक है कि वह शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो और नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित शहरी गरीब परिवार के सर्वे सूची में नाम दर्ज है ।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	Only those beneficiaries are eligible under scheme whose name appears in BPL list approved by ULBs
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में स्वयं का रोजगार स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+ अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है । इसी तरह योजना के अन्य कार्यक्रम महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम में शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कम से कम 5 महिलाओं के समूह को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता (ऋण+ अनुदान) देने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benifited under Programme called USEP (Urban Self Employment Programme) 2-Women self Help groups are benifited under Programme UWSP(Urban Women Self HelpProgramme)
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । दर (%) न्यूनतम अधिकतम	योजनान्तर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में अनुदान की राशि सभी वर्ग के हितग्राहियों को समान रूप से देने का प्रावधान है । इसमें अनुदान-परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक दिया जाता है । जो रूपये 50,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए ।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details	1 .In micro enterprises (Self Employment Programme) the urban beneficiaries below poverty line (BPL) of all classes gets equal subsidy, against the unit cost maximum Rs200,000/- will get the

	Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	subsidy upto 25% of the project cost subject to limit of 50000/- only. 2.-In micro enterprises(Women Self Help Programme ) the urban women group 1 .USEP(Urban Self Employment Programme) 3. UWSP(Urban Women Self HelpProgramme) below poverty line (BPL) of all classes gets equal subsidy against the unit costMaximum Rs.1000,000/- will get the subsidy upto 35% of the project cost subject to limit of 3,00,000/- only.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	योजनान्तर्गत हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) देने का प्रावधान है ।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	Yes under Self Employment Programme USEP (microenterprises) and UWSP all the Beneficiaries is required to contribute 5% of the project cost as margin money
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगाररोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाना, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य करना एवं पाँच लाख से कम आबादी वाले नगरों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के द्वारा लोगों को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना आदि आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत संचालित की जाती है ।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	Under Swarna Jayanti Shahri Rojar Yajna the following economic activities are done. (1) Addressing urban poverty alleviation through gainfull employment to the Urban unemployed or underemployed poor by encouraging them to set up self employment ventures(individual or group), with support for their sustainability of undertake wage employment by encouraging them to set up self employeee. (2) Supporting skill development and training programme to enable the urban poor have access to employment opportunities opened up by the market of undertake self employment and (3)UWEP this programme seeks to provide wage employment to beneficiaries living below the poverty line within the jurisdiction of urban local bodies by utilising their labour for construction of socially and economically useful public assets. (4)
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	संशोधित गाईड लाईन अनुसार 01.04.09 से योजनान्तर्गत हितग्राही को शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रुपये 2 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत जो रुपये 50 हजार से अधिक नहीं होगा, अनुदान दिया जायेगा। उसमें 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राहियों को लगाना आवश्यक है। शेष 70 प्रतिशत राशि ऋण रूप में बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

		महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 10 लाख रूपये निर्धारित की गई है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत जो रूपये 3 लाख से अधिक नहीं होगा, अनुदान दिया जाएगा। उसमें 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राहियों को लगाना आवश्यक है। शेष 60 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में बैंकों द्वारा प्रदान की जावेगी।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	As per revised guideline Under the Scheme in Self Employment(Micro Enterprises) the maximum unit cost is Rs.200000/- in which 25% subsidy and 5% margin money to be paid by the beneficiaries, the rest amount of 70% will be the Bank Loan. For UWSP-(Urban Women Self Prog.) project cost is fixed Rs.10.00 lac, in which 35% Subsidy and 5% margin money by the Beneficiaries rest 60% will be the bank loan.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम में हितग्राहियों को सार्वजनिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes under the scheme the loan is being sanctioned by Bank.
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं।	योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम हितग्राहियों/ समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर जिलों को सूचित किया जाएगा। नगरी क्षेत्र में रहने वाले हितग्राहियों के भलाई के लिए किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा आदि कार्य जिला शहरी विकास अभिकरण स्तर पर किया जाता है। क्योंकि वह जिला पर नोडल विभाग है।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes the year 2010-11 the target under the scheme will be fixed and delivered to the district Nodal Agency (Distt.Urban Development Agency) DUDA and collector for the implementation of the scheme as per target given by central Govt.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.12.97 से प्राप्त की गई है। भारत सरकार द्वारा 01.04.2007 से योजना पुर्नगठित की जाकर संशोधित गाईड लाईन जारी की गई है। योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों के वित्तीय सीमा में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:- 1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम -प्रोजेक्ट लागत रूपये 50 हजार से 2 लाख प्रति प्रोजेक्ट। 2. शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम योजना लागत रूपये 250000/- से 1000000/- प्रति प्रोजेक्ट।
	Additional details if any	Form 01.04.2009 the scheme is revised by Govt. of India and revised guidelines of revamped SJSRY have been issued. New financial limit have been increased in various component. 1. USEP- increased from 50000 to 200000. 2. UWSD- increased from 2.50 lac to 10.00 lac.

**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन**  
**छत्तीसगढ़ महिला कोष**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि योजना लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए ।)</p> <p>Name of the scheme with sub-Components, if any.</p>	<p><u>1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :-</u> संचालन छ.ग.महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है ।</p> <p>1. Loan scheme for Women SHG, which is conducted through CGMahila Kosh</p> <p><u>2. सक्षम योजना :-</u> विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें ।</p> <p>2. Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 40 years which is conducted through CGMahila Kosh.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।</p> <p>Whether is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध कराई गई राशि से</p> <p>Through the fund made available to the C.G. Mahila kosh by State Government.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>महिला एवं बाल विकास विभाग(छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालन)</p> <p>Women &amp; Child Development Department (conducted through CG Mahila Kosh)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरीदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन जिला प्रबंधक छ.ग.महिला कोष</p> <p>District Officer Women &amp; Child Development Department ex-officio District Manager, CG mahila kosh</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p><u>1. महिला स्व-सहायता समूहों के लिये ऋण योजना अंतर्गत</u> – महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना</p> <p>1. <b>Under the loan scheme for Women SHG</b> - Empowerment of Women SHGs &amp; provide financial support for making women economically empowered.</p> <p>2. <u>सक्षम योजना</u> – ऐसी महिलायें जो जीवन-यापन में कठिनाई अनुभव कर रही है उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर</p>

		<p>सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन के अवसर उपलब्ध कराना ।</p> <p><b>2. Sakshama Yojna</b> – To provide the independent and prosperous life and living opportunity to the women who are living in disastrous condition</p>
6	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो जहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>समस्त 27 जिले</p> <p>All 27 Districts.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men Women etc.)</p>	<p>1. महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह ।</p> <p>1. Women SHGs under the loan scheme for SHGs.</p> <p><b>2. सक्षम योजना</b> – ऐसी महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है ।</p> <p><b>2. Sakshama Yojna</b> - Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 40 years</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड, यदि कोई हो तो</p>	<p><b>महिला स्व सहायता समूहों के लिये ऋण योजना :-</b></p> <p>योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे ।</p> <p><b>1. Loan Scheme for Women SHGs</b> - Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan.</p> <p><b>2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे ।</b></p> <p>For taking loan application of only "A" grade group will be considered.</p> <p><b>3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे ।</b></p> <p>Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation.</p>

		<p><b>4.</b> स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे । इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा ।</p> <p>Self help group after payment of previous loan will again be eligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time.</p>
		<p><b>5.</b> ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी का भी ध्यान रखा जायेगा । उदारहण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मुद्दे ।</p> <p>At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be kept in mind. for eg. education, Health, Nutrition, Environment and other social issues.</p> <p><b>6.</b> स्वैच्छिक संगठन फर्मस् एवं सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों ।</p> <p>NGO should be registered under firms and societies registration Act and registration should have completed 3 years.</p> <p><b>7.</b> स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।</p> <p>NGo should be recognized by Women &amp; Child Development Department.</p> <p><b>8.</b> स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा । पुराने कम से कम 25 स्वयं-सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे ।</p>

		<p>NGO's should be attached with formation of Women SHG &amp; empowerment and should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerment. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible.</p> <p><b>9.</b> स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हो ।</p> <p>Self Help group, which was constituted by NGO, should fulfill the prescribed norms.</p> <p><b>10.</b> स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हो ।</p>
		<p>NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to sign agreement for the above said procedure.</p> <p><b>11.</b> स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे । यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे । यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा ।</p> <p>NGO can apply for loan application for 5 SHGs at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibility criteria District Loan Committee will forward the loan application with their recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter.</p>

**ब. सक्षम योजना :-**

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएँ, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो अविवाहित हैं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें ।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो ।
3. पति की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये ।
4. हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये ।
5. ऐसी महिला जिसने पति की मृत्यु उपरांत पुनः विवाह किया हो उसे इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी ।
6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी । प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।

**B. Sakshama Yojna**

1. The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee
2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 48000 per year
3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years
4. The bens must be the original resident of chhattisgarh state
5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme.



		6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis.
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/individual and group basis</p>	<p>1. महिला स्व-सहायता समूह की ऋण योजनांतर्गत – समूह स्तर पर</p> <p>1. Under the loan scheme - Group level.</p> <p>2. सक्षम योजना अंतर्गत – व्यक्तिगत स्तर पर</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna</b> – Individual level</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । )</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution.</p>	<p>1. महिला स्व-सहायता समूह की ऋण योजनांतर्गत – अनुदान नहीं ऋण प्रदान किया जाता है । 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी.ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है । (शासी बोर्ड बैठक में निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जाना है ।) प्रथम बार में 50000/- रुपये तक तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 100000/- रुपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा ।</p> <p>1. Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 3% to SHG group &amp; 5.5% to NGO. (Decision is Pendin) First time loan is provided for up to Rs 50000/- &amp; if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs 100000/- can be provided to Groups for second time.</p> <p>2. सक्षम योजनांतर्गत – कोई अनुदान नहीं दिया जाता है अपितु स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु रुपये 1 लाख तक ऋण प्रदाय किया जाता है ।</p> <p>2. Under the <b>Sakshama Yojna</b> no Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p>	<p>नहीं ।</p>

	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No margin money is required.
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p><b>1. महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत –</b> लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिविधि जो समूह चाहता है ।</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :- Small Business, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Small Scale Industries etc. any economic activity which SHG chooses.</p> <p><b>2. सक्षम योजना अंतर्गत –</b> स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु कोई भी गतिविधि ।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna –</b> Any activity to start their own business.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p><b>1. महिला स्व सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत :-</b></p> <p>(1) 50000/- तक ऋण प्रथम बार</p> <p>(2) 100000/- तक ऋण द्वितीय बार</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :-</p> <p>(1) 50000/- Loan first time.</p> <p>(2) 100000/- Loan second time.</p> <p><b>2. सक्षम योजना अंतर्गत –</b> कोष से प्रदाय किये जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रुपये लगाई गई है । आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से लगा सकते हैं ।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna –</b> The maximum limit of the loan provided under this scheme through kosh is Rs 1 lakhs per bens. The bens shall add their own capital for the same up to any extend.</p>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>नहीं ।</p> <p>No</p>

15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल) तैयार कर लिये गये हैं ।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>योजना तैयार कर लागू की गई है ।</p> <p>Scheme has been formulated.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any</p>	<p>The copy of the both the scheme are enclosed</p>